

जोधपुर नगर निगम

क्रमांक : 569

दिनांक : 10/3/15


गृहकर व नगरीय विकास कर में छूट

आम सूचना

जोधपुर शहर के सभी संपत्तिधारियों (रहवासीय: 300 वर्ग गज से अधिक व वाणिज्यिक 100 वर्ग गज से अधिक) को सूचित किया जाता है की राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर गृह कर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा करने पर मूल राशि एवं शास्ति पर निम्नानुसार छूट प्रदान की गई है:

क्रमांक	कर का नाम	दिनांक 31/03/2015 तक जमा करने पर
1	गृह कर	दिनांक 31/03/2015 तक बकाया गृहकर एक मुश्त जमा करने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट ।
2	नगरीय विकास कर	दिनांक 31/03/2015 तक की बकाया नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा करने पर वर्ष 2014-15 तक शास्ति में शत प्रतिशत छूट ।

जयदि आपकी संपत्ति का कर निर्धारण नहीं किया गया है अथवा नगर निगम के द्वारा बकाया कर का बिल/ डिमांड/ नोटिस आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आप स्वयं अपनी संपत्ति का नगरीय विकास कर SELF TAX ASSESSMENT (स्व कर निर्धारण) निर्धारित प्रपत्र में गणना कर निगम से संपर्क कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं ।



महापौर

नगर निगम जोधपुर



मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नगर निगम जोधपुर

क्रमांक : 70-72

दिनांक : 10/3/15

प्रतिलिपि:

- वरिष्ठ लेखाधिकारी नगर निगम जोधपुर
- संपादक महोदय राजस्थान पत्रिका/ दैनिक भास्कर/ दैनिक नव ज्योति को लेख है की उक्त आम सूचना दिनांक 11/03/2015 में आपके समाचार पत्र में प्रकाशित करते हुए बिल दो प्रतियों में निगम कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावे ।

3. ओसवाल डाटा प्रोसेसिंग को लेख है की यह सूचना निगम की वेब साइट पर प्रकाशित करें ।



मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नगर निगम जोधपुर